18/08/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी का सही नाम बलबीर सिंह पुत्र औंकार है परन्तु विरासतन दर्ज करते समय एवं राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का बोलता नाम लीलाराम पुत्र औंकार दर्ज किया गया जो कि गलत है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जावे। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में अपने भाई रघुवीर, माता मुली देवी का लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र व राशनकार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, की प्रतियां एवं सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किये।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लीलाराम पुत्र औंकार अंकित है। वादी का कथन कि वादी का नाम का सही नाम बलबीर सिंह पुत्र औंकार है की पुष्टि राशनकार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, की प्रतियों से होती है, सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र से, वादी के भाई रघुवीर, माता मूली देवी के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)